

बिहार सरकार  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
भू-अर्जन प्रशाखा  
अधिसूचना

संख्या : आर० पटना, दिनांक :

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- मनिका हरिकिशुन, थाना नं०-424, अंचल-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वाक्त मौजा मनिका हरिकिशुन, थाना नं०-424, अंचल-मुशहरी, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम- वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटौंके है जो 0.075 (साढ़े सात डिसमिल ) एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-अंश खेसरा नं०- 155, 159, 160, 161, 185, 186, 187, 188.

चौहद्दी


- उत्तर - पूर्ण खेसरा नं०-154 अंश खेसरा नं०- 159, 160, 161..  
दक्षिण - अंश खेसरा नं०-186, 187, 188..  
पूरब - ग्राम-नरसिंहपुर, थाना नं०-418 ।  
पश्चिम - अंश खेसरा नं०-155, 159, 185.

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा-4के उपबंधों के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।


भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय अचलाधिकारी, मुशहरी मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।


उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

  
(संतोष कुमार मल्ल)  
समाहर्ता  
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के सचिव  
बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।